an>

*title: Regarding farmers rendered jobless due to acquisition of their land for setting up of Nuclear Power Station in Palghar, Maharashtra.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

सन् 1965 में सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के घिवली गांव में न्यूक्लीयर पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। वहाँ तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन फेज़ एक और दो स्थापित हुआ तथा फेज़ तीन और चार का काम चल रहा है। कालांतर में इस संबंध में और ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस कारण से वहाँ के किसान, जो फार्मिंग और फिशिंग से अपना गुजारा करते थे, उनके लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ने इन परिवारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया। पावर कारपोरेशन के संयंत्र स्थापित होने के बाद मछुआरों का समुद्र में जाना प्रतिबंधित हो गया। इस कारण से मछली पकड़ने के संसाधन अस्त-व्यस्त हो गये। घिवलीगांव के अधिकतर लोग बेरोजगार हैं और उनके परिवारों का भरन-पोषण कठिन हो गया है। एनपीसी द्वारा वहाँ के परिवारों के एजुकेटेड युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था, जो आज पूरा नहीं किया गया है। लोगों में आक्रोश है। उनका जीवनयापन दूभर हो गया है।

अतः आपके माध्यम से, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ पालघर जिले के घिवली गांव के शिक्षित बेरोजगार युवकों को एनपीसी के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने लिए उचित कदम उठाये जाएं।